अज न्यायालय **:** अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या **1,** बालोतरा
जिला बालोतरा।

पीठासीन अधिकारी	**:**	डॉ**.** रामचन्द्र चौहान**,** आर**.** जे**.** एस**.** **(UID No. RJ00979)**
निर्णय दिनांक	**:**	**24.03.2026**
फौजदारी मूल प्रकरण संख्या	**:**	**1940/2022**
सी**.**आई**.**एस**.** नंबर	**:**	**1940/2022**
सी**.**एन**.**आर**.** नंबर	**:**	**RJBA02-003027-2022**
अंतर्गत धारा	**:**	**279, 337, 338** भारतीय दण्ड संहिता व **132/187, 134/187, 184** एमवी एक्ट
पुलिस थाना	**:**	बालोतरा।

अभियोगी **:-**

राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी, बालोतरा।

उपस्थित **:-** अभियोजन अधिकारी ।

बनाम

अभियुक्तगण **:-**

1. देवाराम पुत्र अमराराम, निवासी सायला, जिला जालौर।

उपस्थित **:-** श्री राहुल कुमार, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त।

-: <u>प्रकरण का संक्षिप्त विवरण</u> **:-**

अपराध की तिथि	27.06.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि	26.07.2022
आरोपपत्र प्रस्तुत किये जाने की तिथि	10.10.2022
आरोप सारांश सुनाये जाने की तिथि	10.10.2022
साक्ष्य आरंभ किये जाने की तिथि	30.01.2023
निर्णय आरक्षित किये जाने की तिथि	18.03.2026
निर्णय की तिथि	24.03.2026
दण्ड दिये जाने की तिथि **(**यदि हो तो**)**	----------

-: <u>अभियुक्त का विवरण</u> **:-**

अभियुक्त की क्रम संख्या	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर छोडे जाने की तिथि	अभियुक्त के आरोप का विवरण	दोषसिद्ध या दोषमुक्त	दिये गये दण्ड का विवरण यदि कोई हो तो	धारा 428 द.प्र.सं. के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त

							द्वारा अभिरक्षा में बितायी गयी अवधि
1.	देवाराम	---	---	279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता व 132/187, 134/187, 184 एमवी एक्ट	दोषमुक्त	-----	------

-: <u>अभियोजन / बचाव / न्यायालय गवाह की सूची</u> **:-**

क. अभियोजन गवाह

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
पीडब्ल्यू 1	श्री गणपतलाल कच्छवाहा	चिकित्सक विशेषज्ञ साक्षी
पीडब्ल्यू 2	श्री जोगाराम	फर्द जब्ती वाहन का गवाह
पीडब्ल्यू 3	श्री मेघाराम	फर्द जब्ती वाहन का गवाह
पीडब्ल्यू 4	श्री विजयकांत	शिकायतकर्ता
पीडब्ल्यू 5	श्री भगवानाराम	फर्द नक्शा मौका साक्षी
पीडब्ल्यू 6	श्री संजीव कुमार	फर्द नक्शा मौका साक्षी
पीडब्ल्यू 7	श्री रामछबीला	चश्मदीद गवाह
पीडब्ल्यू 8	श्री मनीष कुमार	फर्द जब्ती वाहन का गवाह
पीडब्ल्यू 9	श्री धन्नाराम	मैकेनिकल मुआयना विशेषज्ञ साक्षी
पीडब्ल्यू 10	श्री गोमाराम	अन्वेषण अधिकारी

ख. बचाव गवाह

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
------	---------	----------

ग. न्यायालय गवाह

साक्षी का क्रम	साक्षी का नाम	साक्ष्य की प्रकृति
------	---------	----------

-: अभियोजन / बचाव / न्यायालय प्रदर्श सूची :-

क. अभियोजन प्रदर्श

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श पी. संख्या
1.	चोट प्रतिवेदन	1
2.	एक्सरे रिपोर्ट	2
3.	एक्सरे प्लेट	3
4.	फर्द जब्ती मोटरसाईकिल	3
5.	प्रथम सूचना रिपोर्ट	4
6.	फर्द नक्शा मौका	5
7.	फर्द जब्ती कार	6
8.	वाहनों की मैकेनिकल मुआयना रिपोर्ट	7 व 8
9.	धारा 133 एमवी एक्ट का नोटिस	9
10.	धारा 134 एमवी एक्ट का नोटिस	10
11.	चाक एफआईआर	11

ख. बचाव प्रदर्श

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श डी. संख्या
------	---------	------

ग. न्यायालय प्रदर्श

क्रम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श सी. संख्या
------	---------	------

निर्णय दिनांक - 24.03.2026

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 26.07.2022 को परिवादी विजयकांत ने पुलिस थाना बालोतरा में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 27.06.2022 को सुबह करीब 8:30 बजे वह अपनी मोटरसाईकिल नंबर आरजे 39 एसबी 1629 से बालोतरा में जेरला रोड़ पर स्थित लक्ष्मी नगर कॉलोनी के पास पहुंचा तो सामने से एक कार नंबर आरजे 39 यूए 1935 का चालक अपनी कार को तेजगति व लापरवाही से चलाता हुआ आया तब उसने अपनी मोटरसाईकिल रोड़ के साईड में रोकी तो उक्त कार चालक ने उसके जोरदार टक्कर मारी जिससे उसके जीवणे हाथ के कंधे पर फ्रेक्चर हुआ व शरीर के अन्य भागों पर चोटे आई। कार चालक मौके पर कार छोड़कर भाग गया। उक्त दुर्घटना घटित होते

रामछबीला ने देखी। उसके बाद कार मालिक मनीष कुमार व तीन चार अन्य आदमी मौके पर आये और उसे विश्नोई अस्पताल बालोतरा में भर्ती कराया लेकिन उसकी हालत गंभीर होने से उसे अहमदाबाद रेफर किया। मनीष कुमार ने अपने खर्चे से उसे बालोतरा से अहमदाबाद भिजवाया व एक आदमी को भी उसके साथ भेजा। मनीष ने कहा कि वो ईलाज खर्चा देगा। दिनांक 27.06.2022 को सेफ्रोन प्राईवेट अस्पताल, अहमदाबाद में उसका इलाज संभव नहीं होने पर आगे ऑपरेशन हेतु सरकारी अस्पताल जी.सी.एस. चामुण्डा ब्रीज के पास अहमदाबाद में रेफर किया जहां दिनांक 08.07.2022 को उसका ऑपरेशन कर हाथ में स्टील की रोड डाली। दिनांक 11.07.2022 को अस्पताल से छुट्टी मिलने पर उसने कार मालिक मनीष कुमार को फोन किया तो मनीष ने ईलाज का खर्चा देने से साफ इन्कार कर दिया आदि.....।

2. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना बालोतरा में प्रकरण संख्या 430/2022 दर्ज कर मामले में आवश्यक अनुसंधान प्रारंभ किया गया और बाद अनुसंधान अभियुक्त देवाराम के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता व 132/187, 134/187, 184 एमवी एक्ट का अपराध प्रमाणित पाकर न्यायालय में उक्त धाराओं का चालान पेश किया गया जिसपर न्यायालय द्वारा अभियुक्त देवाराम के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रसंज्ञान लिया गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

3. न्यायालय द्वारा अभियुक्त को धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता व 132/187, 134/187, 184 एमवी एक्ट के तहत आरोप सारांश मौखिक रूप से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने उक्त आरोप को सुन समझकर अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही। दौराने विचारण अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार गवाहों को परीक्षित करवाया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में अभियोजन पक्ष की ओर से उपरोक्त वर्णित सूची अनुसार दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया गया।

4. अभियोजन साक्ष्य समाप्ति पर अभियुक्त के बयान अंतर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के लेखबद्ध किये गये, जिसमें उसने अपने विरुद्ध आयी साक्ष्य को गलत होना बताते हुए झूठा फंसाये जाने के कथन किए हैं। साक्ष्य प्रतिरक्षा पेश करना नहीं चाहा जिसपर साक्ष्य प्रतिरक्षा बंद की गयी।

5. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई। दौराने बहस अभियोजन अधिकारी ने तर्क दिया कि पत्रावली पर मौजूद समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियोजन का मामला संदेह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को उक्त आरोपों में दोषसिद्ध घोषित किया जाकर समुचित दण्ड से दण्डित किया जावे।

इसके विपरीत अधिवक्ता अभियुक्त ने दौराने बहस तर्क दिया कि प्रकरण में अभियुक्त को मिथ्या रूप से संलिप्त किया गया है। हस्तगत प्रकरण में ऐसा कोई अखण्डित प्रलेखीय एवं मौखिक साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है, जिससे यह प्रमाणित होता हो कि दुर्घटना अभियुक्त देवाराम द्वारा ही कारित की गयी हो तथा उसी की लापरवाही से मजरूब को साधारण व गंभीर उपहति कारित हुई हो। घटना का चश्मदीद गवाह रामछबीला व परिवादी मजरूब विजयकांत न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुए है जिन्होंने वाहन चालक का नाम नहीं बताया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वाहन चालक का नाम अंकित नहीं है तथा गवाहान ने वाहन चालक का मौके से भाग जाना बताया है। गवाहान के कथनों में तात्विक विरोधाभास है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त घोषित किया जावे।

6. बहस के प्रकाश में पत्रावली का उद्योपांत अध्ययन व अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु हैं :

(1) **"**क्या अभियुक्त देवाराम दिनांक **27.06.2022** को सुबह **8:30** बजे के लगभग सरहद मौजा जेरला रोड़ पर स्थित लक्ष्मीनगर कॉलोनी के पास लोकमार्ग पर प्रश्नगत वाहन कार नंबर आरजे **39** यूए **1935** का चालक होकर उसे चला रहा था **?"**

(2) **"**क्या उपरोक्त दिनांक**,** समय व स्थान पर अभियुक्त ने प्रश्नगत वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाकर मोटरसाईकिल नंबर आरजे **39** एसबी **1629** के टक्कर मारी जिससे उस पर सवार विजयकांत के साधारण एवं गंभीर चोटें कारित हुई

(3) **"**क्या उपरोक्त दिनांक**,** समय व स्थान पर अभियुक्त देवाराम ने उक्त दुर्घटना की सूचना नजदीकी पुलिस थाना में नहीं दी और मजरूब को चिकित्सा सहायता उपलब्ध नहीं करवायी **?"**

(4) यदि हां तो उचित दण्डादेश क्या होगा ?

विचारणीय बिन्दु संख्या **1 :**

7. उक्त विचारणीय बिन्दु को साबित करने का भार अभियोजन पर है, जिसको साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 10 गवाह परीक्षित हुए। उक्त विचारणीय बिंदु के संबंध में न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखना है कि **"**क्या वक्त दुर्घटना**,** दुर्घटनाकारित वाहन कार नंबर आरजे **39** यूए **1935** का चालक अभियुक्त देवाराम था **?** उक्त विचारणीय बिन्दु के संबंध में सर्वप्रथम, प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन करे तो उसमें दुर्घटनाकारित वाहन के नंबर आरजे 39 यूए 1935 होना बताया गया और चालक का मौके से भाग जाना बताया है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट नामजद नहीं है। उक्त आशय की रिपोर्ट को साबित करने के लिए परिवादी मजरूब विजयकांत पीडब्ल्यू 4 के रूप में परीक्षित हुआ जिसने प्रथम सूचना रिपोर्ट के समरूप ही सशपथ कथन किये व वाहन चालक के बारे में अनभिज्ञता जाहिर की। गवाह को पक्षद्रोही घोषित किये जाने

पर दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में भी गवाह ने कथन किया कि वह नहीं बता सकता कि दुर्घटनाकारित वाहन को देवाराम पुत्र अमराराम चला रहा हो। इस प्रकार परिवादी मजरूब द्वारा वाहन चालक को नहीं देखा व पहचाना गया। इसी प्रकार घटना का अन्य महत्वपूर्ण व तथाकथित नामजद चश्मदीद गवाह रामछबीला पीडब्ल्यू 7 न्यायालय के समक्ष पक्षद्रोही घोषित हुआ जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में दुर्घटनाकारित वाहन के चालक का नाम ज्ञात नहीं होना बताया। दौराने जिरह अभियोजन अधिकारी में भी गवाह ने कथन किया कि वह नहीं बता सकता कि वक्त घटना दुर्घटनाकारित वाहन को देवाराम पुत्र अमराराम चला रहा हो । दौराने जिरह अधिवक्ता अभियुक्त में गवाह ने इस सुझावात्मक प्रश्न को स्वीकारा कि वह चालक को नहीं जानता है और न ही उसने देखा। इस प्रकार उक्त गवाह ने भी वाहन चालक की पहचान के संबंध में कोई कथन नहीं किये जिससे भी अभियोजन कहानी की ताहिद नहीं होती है।

8. इस प्रकार इस विचारणीय बिंदु के संबंध में अभियोजन की ओर से लाई गई समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का सुक्ष्मता से विवेचन करे तो परिवादी मजरूब विजयकांत ने अपने सशपथ बयानों में दुर्घटनाकारित वाहन कार नंबर आरजे 39 यूए 1935 होना व उसके चालक का नाम नहीं बताया है। परिवादी ने अपनी प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी मात्र वाहन के नंबर लिखे हैं तथा वाहन चालक के नाम का कोई अंकन नहीं किया है। दौराने जिरह भी यह कथन किया कि उसे चालक का नाम नहीं पता तथा वह चालक को नहीं जानता। तथाकथित चश्मदीद गवाह रामछबीला स्वयं पक्षद्रोही घोषित हुआ, जिससे परिवादी के कथनों की ताहिद नहीं होती है।

9. इसके अतिरिक्त धारा 133 एमवी एक्ट के नोटिस प्रदर्श पी 9 के आधार पर वाहन स्वामी द्वारा वक्त दुर्घटना उक्त वाहन अभियुक्त देवाराम द्वारा चलाया जाना बताया है लेकिन उक्त तथ्य को साबित करने के लिए स्वयं वाहन स्वामी कांतिलाल न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर परीक्षित नहीं हुआ है जिससे यह नहीं माना जा सकता कि वक्त दुर्घटना प्रश्नगत वाहन देवाराम द्वारा चलाया जा रहा हो। धारा 134 एमवी एक्ट का जवाब अभियुक्त देवाराम द्वारा पुलिस अभिरक्षा के दौरान दिया गया जो धारा 25 साक्ष्य विधि के तहत संस्वीकृति की श्रेणी में आती है। अभियोजन की ओर से परीक्षित शेष गवाह गणपतलाल कच्छवाहा पीडब्ल्यू 1 ने चोटों के संबंध में, जोगाराम पीडब्ल्यू 2, मेघाराम पीडब्ल्यू 3, मनीष कुमार पीडब्ल्यू 8 ने फर्द जब्ती के संबंध में, भगवानाराम पीडब्ल्यू 5 व संजीव कुमार पीडब्ल्यू 6 ने फर्द नक्शा मौका के संबंध में, धन्नाराम पीडब्ल्यू 9 ने वाहनों का मैकेनिकल मुआयना करने के संबंध में व गवाह गोमाराम पीडब्ल्यू 10 ने अनुसंधान किये जाने के संबंध में औपचारिक साक्ष्य दी है, जो इस तथ्य पर कोई प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं डालती है, जिससे उसकी साक्ष्य विवेचन का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है जिससे न्यायालय के समक्ष प्रथम दृष्ट्या यह साबित नहीं होता है कि दुर्घटनाकारित वाहन का चालक अभियुक्त देवाराम हो।

10. अतः उपरोक्त साक्ष्य की विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष इस तथ्य को कि **"**क्या अभियुक्त देवाराम दिनांक **27.06.2022** को सुबह **8:30** बजे के लगभग सरहद मौजा जेरला रोड़ पर स्थित लक्ष्मीनगर कॉलोनी के पास लोकमार्ग पर प्रश्नगत वाहन कार नंबर आरजे **39** यूए **1935** का चालक होकर उसे चला रहा था **?"** को संदेह से परे साबित कराने में असफल रहा है।

विचारणीय बिन्दु संख्या **2**

11. **"**क्या उपरोक्त दिनांक**,** समय व स्थान पर अभियुक्त ने प्रश्नगत वाहन को तेज गति व लापरवाही से चलाकर मोटरसाईकिल नंबर आरजे **39** एसबी **1629** के टक्कर मारी जिससे उस पर सवार विजयकांत के साधारण एवं गंभीर चोटें कारित हुई **?"**

चूंकि अभियोजन पक्ष प्रथम विचारणीय बिन्दु को न्यायालय के समक्ष संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है इसलिये इन बिन्दुओं का विस्तार से विवेचन किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

विचारणीय बिन्दु संख्या **3**

12. **"**क्या उपरोक्त दिनांक**,** समय व स्थान पर अभियुक्त देवाराम ने उक्त दुर्घटना की सूचना नजदीकी पुलिस थाना में नहीं दी और मजरूब को चिकित्सा सहायता उपलब्ध नहीं करवायी **?"**

चूंकि अभियोजन पक्ष प्रथम विचारणीय बिन्दु को न्यायालय के समक्ष संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है इसलिये अभियुक्त देवाराम द्वारा उक्त दुर्घटना की सूचना नजदीकी पुलिस थाना में नहीं दिया जाना या मजरूब को चिकित्सा सहायता उपलब्ध नहीं करवाये जाने के संबंध में विस्तार से विवेचन किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

13. इस प्रकार अभियोजन पक्ष उपरोक्तानुसार विचारणीय बिन्दुओं को संदेह से परे साबित कराने में पूर्णतया असफल रहा है, जिससे अभियुक्त को आक्षेपित आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

14. अतः अभियुक्त देवाराम पुत्र अमराराम, निवासी सायला, जिला जालौर को आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा 279, 337, 338 भारतीय दण्ड संहिता व 132/187, 134/187, 184 एमवी एक्ट के तहत संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

अभियुक्त धारा 437 ए के बंध पत्र राशि 10,000/-रुपये छः माह के लिए इस आशय की पेश कर तस्दीक करावे कि प्रकरण में अपील होने की स्थिति में अपीलीय न्यायालय में तलब किये जाने पर उपस्थित होने हेतु पाबंद रहेगा।

प्रकरण में जब्तसुदा वाहन सुपुर्दगी पर दिये हुए हैं, जो बाद गुजरने अपील मियाद निरस्त समझे जावें ।

(डॉ. रामचन्द्र चौहान)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1,
बालोतरा ।

15. निर्णय आज दिनांक 24.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

SULOCHANA GAHLOT
Steno Gr. I
"Authenticated document"
Digitally signed by SULOCHANA GAHLOT
Location: Balotra
Date: 2026.03.28 11:48:27 +0530

(डॉ. रामचन्द्र चौहान)
अति. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सं. 1,
बालोतरा ।